

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

क्रमांक - 67 / 2025

प्रतिवादी :-

1. सुभाष पुत्र रामचन्द्र जाति नाई साकिन निनाण तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

- 3 रामचन्द्र पुत्र घीसाराम जाति नाई साकिन निनाण तहसील भादरा।
- 4 नरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति नाई साकिन निनाण तहसील भादरा।
- 5 सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति नाई साकिन निनाण तहसील भादरा।
- 6 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नवीन गोयल व वकील प्रतिवादीगण श्री आरती शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 जेजीडब्ल्यू खाता सं. 205/187 के मु० नं० 101 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु० नं० 124 के किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 मु० नं० 125 के किला नं. 1/1, 1/2 कुल कित्ता 18 की कुल 3.2890 हैक्टर जिसमें 3.164 हैक्टर नहरी, 0.125 हैक्टर खाला जातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के बजाये वादी सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र, प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र तथा प्रतिवादी संख्या 3 सीताराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के पुरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। चर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कल्पित शिवरान R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

